न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री रामरख मीना RAS

प्रकरण संख्याः– 27/2019 दायर दिनांक :– 27.03.2019

रामकरण पुत्र धनाराम जाति मेघवाल निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर ——वादी

–:बनामः–

1. धनाराम पुत्र खेताराम
2. मघाराम
3. रामूराम — पुत्रगण धनाराम
4. कुम्भाराम
5. हरजीराम

जाति मेघवाल निवासी बापेऊ तहसील श्रीडूगरगढ़ जिला बीकानेर

6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूंगरगढ़
7. उप पंजीयक पजीयन कार्यालय श्रीडूगरगढ़

——प्रतिवादी

दावा बाबत विभाजन एवं स्थायीनिषेधाज्ञा अन्तर्गत आर.टी.एक्ट 1955 धारा 53,88,188

उपस्थितः–
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. श्री के के पुरोहित अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 1 ता 5
3. श्री राज पेरापकार

निर्णय दिनांक :–15.04.2019

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी प्रतिवादी संख्या 1 का पुत्र है जिनके विरास्तन के खेत खसरा नंबर 136 तादादी 7.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 156 तादादी 3.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 180 तादादी 7.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 195 तादादी 6.0200 हैक्टेयर रोही बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित है। वादगत खेत खसरा नंबर 136 तादादी 7.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 156 तादादी 3.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 180 तादादी 7.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 195 तादादी 6.0200 हैक्टेयर रोही बापेऊ पुरोहितान में से पारिवारिक विभाजन में वादी के खसरा नंबर 136 तादादी 7.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 156 तादादी 3.4900 हैक्टेयर हिस्से पांती में आये हुए है तब से लगातार वादी का अपने हिस्से पर कब्जा–काश्त एवं उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक चला आ रहा है। वादी उक्त खसरा नंबर 136 तादादी 7.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 156 तादादी 3.4900 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 180 तादादी 7.0300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 195 तादादी 6.0200 हैक्टेयर रोही बापेऊ पुरोहितान तहसील श्रीडूंगरगढ़ में स्थित अपने हक हिस्से की भूमि की घोषणा विभाजन करवाना चाहते है एवं इसी अनुसार वादी ने अपनी खातेदारी हिस्सा की कब्जा–काश्त की भूमि पर सुधार कार्य करवाकर उपजाऊ बना रखी है। तथा मेढ़ कर रखी है परन्तु भूमि का विधिवत् रूप से विभाजन नहीं होने के कारण वादी को अपने हिस्से की कृषि भूमि से सम्बधित हर तरह कार्य करवाने एवं बैंक से ऋण लेने में कई तरीके की कठिनाई आती है। वादी ने प्रतिवादी से वादगत खेतों के खातेदारी घोषणा एवं विभाजन बाबत निवेदन किया तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से दिनांक 15.12.2019 को स्पष्ट इनकार कर दिया। इसलिए वादी प्रतिवादी के विरूद्ध घोषणा, विभाजन एवं चिरनिषेधाज्ञा का दावा प्रस्तुत कर रहे है। अतः दावा प्रस्तुत कर श्रीमान्जी से निवेदन है कि वादी को खसरा नंबर 136 तादादी 7.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 156 तादादी 3.4900 हैक्टेयर रोही बापेऊ पुरोहितान का खातेदार घोषित किया जाकर अलग से खाता विभाजन किया जावे व तद्नुसार ही राजस्व रिकार्ड व राजस्व अक्स में तरमीम किया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर कर नोटिस जारी किये गये। प्रतिवादीगण की और से जबाबदावा मय राजीनामा प्रस्तुत किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया दावा जबाबदावा के अनुसार वादगत खेत वादी एवं प्रतिवादीगण के विरास्तन के खेत है जिसमें से वादी के खसरा नंबर 136 तादादी 7.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 156 तादादी 3.4900 हैक्टेयर रोही बापेऊ पुरोहितान हिस्से पांती में आये हुए है वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 ने अपने अपने हिस्से अनुसार हिस्से पांती कर रखी है वादी अपने हिस्से की भूमि की घोषणा एवं विभाजन करवाना चाहता है न्यायालय कब्जा काश्त एवं पारिवारिक विभाजन के अनुसार वादी को खसरा नंबर 136 तादादी 7.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 156 तादादी 3.4900 हैक्टेयर रोही बापेऊ पुरोहितान का खातेदार घोषित किया जाना उचित समझता है।

अतः वादी रामकरण पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासी बापेऊ पुरोहितान को खसरा नंबर 136 तादादी 7.0100 हैक्टेयर, खसरा नंबर 156 तादादी 3.4900 हैक्टेयर रोही बापेऊ पुरोहितान खातेदार घोषित किया जाता है तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर करे। डिक्री जारी हों ।
आज दिनांक 15.04.2019 को निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रामरख मीना RAS)
उपखण्ड अधिकारी,
श्रीडूंगरगढ जिला–बीकानेर(राज.)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ (बीकानेर)

Scanned by CamScanner